न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पिठासीन अधिकारी :– श्री वीरेन्द्रसिंह यादव आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र सं0 : 01/19
निर्णय दिनांक : 22.01.2019

1. पीर मोहम्मद पुत्र अलानूर खां जाति मुसलमान नि0 बरवरों की ढाणी भरतोलाव तन नरायना तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
2. बाबू भाई पुत्र मयास भाई जाति मुसलमान नि0 2ए गैटोर सिद्धात नगर सांगानेर जगतपुरा रोड़ जयपुर

अपीलान्टस

बनाम

1. संरपच महोदय, ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा
2. प्रशान्त पुत्र भवानीप्रसाद
3. सौरभ पुत्री भवानीप्रसाद
4. ताराचन्द पत्नि भवानीप्रसाद
   समस्त जाति ब्राहमण नि0 389 जोशी भवन मणिहारों का रास्ता जयपुर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण सं0 660 दिनांक 20.09.12
पंचायत श्रीरामपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि आराजी खं0नं0 282 रकवा 6 बीघा 5 विस्वा, खं0नं0 283 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा, खं0नं0 284 रकबा 10 विस्वा, खं0नं0 285 रकबा 5 विस्वा, खं0नं0 286 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा, खं0नं0 287 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, खं0नं0 288 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा, खं0नं0 289 रकबा 10 विस्वा, खं0नं0 312 रकबा 4 बीघा 4 विस्वा किता 9 कुल रकबा 17 बीघा 18 विस्वा वाकै ग्राम सिरोहीखुर्द प0ह0 सिरोहीखुर्द तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसमें रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगा0 4 खातेदार काश्तकार व मालिक है। जिन्होने सम्पूर्ण आराजी जरिये विक्रय पत्र दिनांक 27.08.12 को अपीलान्ट को बेचान कर दी तथा सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर मौके पर कब्जा संम्भला दिया। उनके विक्रय पत्र दिनांक 27.08.12 के आधार पर अपीलान्ट ने नामान्तकरण खुलवाने का प्रा0पत्र पटवारी हल्का के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी ने नामान्तकरण सं0 660 भरकर ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया तो ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा नामान्तकरण सं0 660 को दिनांक 20.09.12 को खारिज कर दिया इसलिए उक्त अपील पेश करनी आवश्यक हुयी।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। वकील अपीलान्टस ने रेस्पोडेन्टस सं0 2 लगा0 4 के विरूद्व अपील विड्रों करने हेतु प्रा0पत्र पेश किया उक्त प्रा0पत्र स्वीकार होने पर रेस्पोडेन्टस सं0 2 लगा0 4 के विरूद्व अपील विड्रों की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से वकील श्री रतनलाल चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 09.01.19 को उक्त पत्रावली अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की गयी। दिनांक 22.01.19 को अपीलान्टस मय वकील उपस्थित होकर प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि अन्य न्यायालय में व्यस्त रहने के कारण

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official
Scanned by CamScanner

उपस्थित नहीं हो सके इसलिए उक्त अपील पुनः नम्बर पर लिया जाकर रेस्टोर किया जावे। उक्त प्रा0पत्र पर वकील रेसपोडेन्ट ने उपस्थित होकर प्रा0पत्र को स्वीकार करने में कोई आपति नहीं की है उक्त प्रा0पत्र पर पक्षकारान वकीलों की बहस सुनी जाकर उक्त प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पुनः दर्ज की गयी। रेसपोडेन्टस की ओर से वकील श्री लोकेश शर्मा ने वकालतनामा पेश किया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी पक्षकारान ने जाहिर किया कि पक्षकारान के मध्य बहामी राजीनामा हो चुका है तथा पक्षकारान ने अपने विवाद को हल कर लिया है रेस्पोडेन्ट की ओर से यह तर्क दिया गया कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तो रेस्पोडेन्टस को कोई आपति नहीं है पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा अपीलाधीन नामान्तकरण का अवलोकन किया गया अपीलान्ट के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा आराजी का विक्रय हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट का कब्जा न होने के आधार पर नामान्तकरण निरस्त कर दिया गया जबकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व प्रतिबन्धित क्षेत्रों के अलावा कब्जे की जांच किया जाना कानूनन आवश्यक नहीं है इस आधार पर अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाना न्यायोचित समझता हूँ।

निर्णय

अतः अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.12 नामान्तकरण सं0 660 अपास्त किया जाकर पत्रावली इस आदेश के साथ तहसीलदार फुलेरा को रिमाण्ड की जाती है कि विक्रय पत्र दिनांक 27.08.12 के आधार पर अपीलान्टस के पक्ष में मुताबिक विक्रय पत्र बाद जांच नियमानुसार विधि अनुसार निर्णय पारित करें। पालना हेतु तहसीलदार फुलेरा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2019 को खुले न्यायालय मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लैक